न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/32/2021
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/58
प्रवेश तिथि 12.03.2021

अपीलार्थी
श्री महेन्द्र मोहन उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र,
जाति–रैगर, गांव–धीरोड़ा, तहसील–टहला,
जिला–अलवर(राज.)–301410

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19.04.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0पत्र दिनांकः 05.01.2021 के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर प्रश्नगत उमाचरण एवं विश्वनाथ मिश्रा के नाम से उपमण्डलाधिकारी (जागीर) राजगढ (मुख्यावास) अलवर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांकः 26.10.1977 जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, पदस्थापन आदेश एवं जागीर भूमि पुर्नग्रहण संबंधी आदेश, अभिलेख, जमाबन्दियों, काश्तकारों के नाम नामान्तरकरण आदि 03 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई।
5. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 26.02.2021 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 22.03.2021 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, साथ ही ई–मेल के जरिये भी नोटिस प्रेषित करते हुए जवाब चाहा गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम आवेदन दिनांकः 05.01.2021 के माध्यम से वांछित जानकारी तृतीय पक्षकार से संबंधित है, वांछित सूचना में विस्तृत लोकहित दर्शित नहीं होता है, सूचना/जानकारी 43–63 वर्ष पुराना अभिलेख है, साथ ही नामान्तरकरण, जमाबन्दियों की प्रमाणित फोटोप्रति/नकल प्राप्ति हेतु राजस्थान भू–राजस्व, भू–अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 28 के तहत पृथक से तहसील कार्यालय, राजगढ के भू–अभिलेख अनुभाग अंतर्गत रिकॉर्ड निरीक्षण या दस्तावेजात् नकल हेतु विधिअनुरूप प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नामान्तरकरण, जमाबन्दियों की नकल अदेय है।

8. चूँकि प्रकरण में प्रत्यर्थी कार्यालय की ओर से अपील में कोई जवाब अप्राप्त है। अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 05.01.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के तहत सूचना यदि उपलब्ध कराई जाने की श्रेणी में हो तो उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में वांछित सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क ही अधिप्रमाणित करते हुए पंजीकृत–पत्र के जरिये उपलब्ध करा दी जावे अन्यथा स्थिति में तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।

9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित ।

19/4/21

(कमलराम मीना)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

स्था० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० * प्रशासन (द्वितीय) अलवर *
राजस्थान सरकार